

**राजस्थान सरकार**  
**विधि एवं विधिक कार्य विभाग**  
**(राजकीय वादकरण)**

क्रमांक 8(32)राज/वाद/08 पार्ट-5

जयपुर दिनांक 13-8-19

**:: आदेशः**

प्रशासनिक कारणों से निम्नांकित कर्मचारियों के स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम सं0 4 में वर्णित कार्यालयों में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा किया जाता है:-

क्र0सं0	कर्मचारी का नाम/पद नाम	कहाँ से	कहाँ को	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री मोहन सिंह सेजवाल, वरिष्ठ सहायक	राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, संख्या-1 किशनगढ़बास, जिला अलवर	रिक्त पद पर
2	श्री मनीष बेनीवाल, वरिष्ठ सहायक	राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर	अपर लोक अभियोजक, रामगंजमण्डी, जिला कोटा	रिक्त पद पर
3	श्री बृजेश कुमार जैमन, कनिष्ठ सहायक	राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, मालपुरा जिला टोंक	श्री लक्ष्मण सिंह राजावत के स्थान पर
4	श्री लक्ष्मण सिंह राजावत, कनिष्ठ सहायक	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, मालपुरा जिला टोंक	विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 टोंक	रिक्त पद पर

क्र0सं0 1 से 3 पर वर्णित कर्मचारियों को नियमानुसार यात्राभत्ता एवं योगकाल देय होगा तथा क्रम संख्या-4 पर वर्णित कर्मचारी का स्थानान्तरण स्वयं के प्रार्थना पत्र पर किये जाने के कारण इन्हें यात्राभत्ता एवं योगकाल देय नहीं है।


आज्ञा से  
६०

(जगमोहन शर्मा)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, विधि (वादकरण)।
2. संबंधित जिला कलक्टर, -----।
3. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/ अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, मालपुरा जिला टोंक को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्मिकों को अविलम्ब अधिकतम 07 दिवस के भीतर कार्यमुक्त कर सूचना इस विभाग को प्रेषित की जावे।
4. संबंधित कोषाधिकारी।
5. सम्बन्धित कार्यालय।
6. लेखपंथिका, विधि (वादकरण) विभाग।
7. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. संबंधित कर्मचारी-----।
9. रिक्त पत्रावली।

  
13/8/2019  
(जगमोहन शर्मा)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण